

न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावड़ा

मु.नं. 18 तारीख रज. 14-1-19 तारीख निर्णय 13-2-19

आज पत्रावली व मुकाम तामिया 7 पेश हुई गैर सायल उपस्थित है/नहीं है

रिपोर्ट पटवारी ग्राम शेषदावा 8 प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल

श्री अर्जुन पुत्र श्री विशान्ता जाति 241

निवासी शेषदावा 8 द्वारा आराजी खसरा नं. 1 रकबा 0.05

किस्म जमीन सिवान च मौजा शेषदावा 8 पर सम्वत् 20 75

में अतिक्रमण का काश्त कब्जा कर लिया है। गैर सायल को नियमानुसार धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम सन् 1956 संशोधित दिनांक 2/10/1975 के तहत नोटिस जारी बाद तामील शामिल किया गया। अतिक्रमी बाबजूद तामील के भी हाजिर नहीं हैं। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अतिक्रमी हाजिर है उसने कोई जबाब व सबूत पेश नहीं किया है अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा काश्त किया है उसको अतिक्रमी करार दिया जाता है।

अतः गैर सायल श्री अर्जुन की आराजी खसरा नं. 1

रकबा 0.05 मौजा शेषदावा 8 से बेदखल किया जाता है लगान

दर 8.30 से उक्त रकबा के लगान 8.32 का 30

गुना से शास्ति 18 कायम की जाती है। बेदखली हेतु पटवारी को

लिखा जावे तथा आई.एल.आर. को आदेश जारी हो कि उक्त रकबे की खड़ी फसल को जब्त करे नीलामी कार्यवाही करें एवं फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृति पेश करें तथा राजस्व लेखाकार व पटवारी को जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर ही निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

रजिस्ट्रार 'ब' के फुल सं. 101

तहसील तलावड़ा 16

दिनांक 13-2-19 को कायम किया

तहसील रज. लेखाकार

24
नायब तहसीलदार
तहसील तलावड़ा